न्यायालय, अपरसमाहर्ता, रांची।

एस ए आर अपील 51 आर 15/08–09

मालती सिंहा अपीलकर्ता

बनाम

फुलचन्द उरॉव प्रतिवादी

आदेश

14/
15.12.2008

यह अपील एस ए आर वाद संख्या 166/07–08 में श्री देवनीस किडो विशेष विनियमन पदाधिकारी, रॉची द्वारा दिनांक 12.04.2008 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। निम्न न्यायालय ने निम्नांकित जमीन प्रतिवादी को वापस करने का आदेश दिया है।

ग्राम	खाता	प्लाट	रकबा
अरसण्डे	250	1633	1.01 एकड़

अपीलकर्ता ने यह अपील 75 डिसमिल जमीन के लिए दायर किया है। अपील आवेदन में बताया गया है कि निम्न न्यायालय के वाद की जानकारी उन्हें नहीं थी क्योंकि नोटिस का तामिला नहीं हुआ और एकपक्षीय आदेश पारित किया गया। दखल देहानी निर्गत होने के बाद इसकी जानकारी हुई। पुर्व में इसी जमीन पर धारा 71 ए के अंतर्गत एस ए आर वाद संख्या 449/1992–93 दायर हुआ था जिसका फैसला दिनांक 18.2.1995 को धारा 71 ए के द्वितीय परन्तुक के अनुसार हुआ एवं 1,50,000 रुपया क्षतिपूर्ति की राशि निर्धारित की गयी। अपीलकर्ता ने क्षतिपूर्ति की राशि न्यायालय में जमा किया जिसे आवेदक ने प्राप्त भी कर लिया। इस तथ्य को जानते हुए भी पुनः आवेदक ने अपीलकर्ता के विरुद्ध एस ए आर वाद दायर किया जो पूर्वादेश से प्रभावित है। अपीलकर्ता विवादित जीमल पर 1954 से दखलकार हैं एवं मकान, चहारदीवारी तथा कुॅआ का निर्माण किये हैं। अपीलकर्ता द्वारा इस जमीन के विभिन्न हिस्सों का विभिन्न व्यक्तियों के साथ बिक्री किया गया है। क्रेतागण भी एस ए आर वाद संख्या 449/1992–93 में पक्षकार थे। विवादित जमीन भदलु उरॉव की थी एवं उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी मो0 बिसन्गी ने एस ए आर वाद दायर किया था। दस प्रकार यह मामला पूर्वादेश से प्रभावित है एवं कालबाधित है। निम्न न्यायालय द्वारा इन सारे तथ्यों की अनदेखी कर एकतरफा आदेश पारित किया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना गया। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपील आवेदन के तथ्यों का ही पुनः उल्लेख किया एवं दावा किया कि विवादित जमीन

में मकान बना हुआ है। प्रतिवादी के अधिवक्ता का कहना है कि पूर्वादेश का प्रश्न ही नहीं है क्योंकि जमीन वही है परन्तु पक्षकार भिन्न हैं। पूर्व का एस ए आर वाद खतियानी रैयत या उनके उत्तराधिकारियों ने नहीं दायर किया था। वह वाद बिसन्गी देवी ने दायर किया था जिसने क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त किया। खतियानी रैयत दशवा उरॉव की नाबल्द मृत्यु हो गयी थी जिसके बाद उसकी पत्नी चमारी उराइन ने निबंधित वसीका संख्या 6440 दिनांक 22.10.1943 से 1.17 एकड़ जमीन भदलु उरॉव को हस्तांतरित किया। यह हस्तांतरण अवैध था क्योंकि आदिवासी समाज में स्त्री को मालिकाना हक नहीं होता है। विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि मालती सिहा ने बिसन्गी के विरुद्ध टाइटल सूट संख्या 131/1966 दायर किया था जिसमें समझौते के आधार पर डिक्री मिला था। इस डिक्री की कोई कानूनी मान्यता नहीं है क्योंकि यह आपसी समझौते पर आधारित था।

इस वाद में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि एस ए आर वाद संख्या 449/92–93 (मों0 विसन्गी बनाम मालती सिहा) में तत्कालीन पीठासीन पदाधिकारी श्री एन पी यादव, उपसमाहर्ता भूमि सुधार, रॉची ने दिनांक 18.2.1995 को खेसरा संख्या 1633 के 75 डिसमिल पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71 ए के द्वितीय परन्तुक के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति निर्धारण करके भूमि के अंतरण को विनियमित कर दिया। क्षतिपूर्ति राशि की प्राप्तकर्ता भी विसन्गी उराईन ही थी। एंसी स्थिति मे उन्हें भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रॉची के आदेश के विरुद्ध अपील दायर करना चाहिए था जो नहीं किया। निम्न न्यायालय में किसी फुलचन्द उरॉव ने वाद दायर किया था जिसपर 12.4.2008 को भूमि वापसी का निर्णय किया गया।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वर्तमान मामला रेसजुडीकाटा (पुर्वादेश) से प्रभावित है। अंचल अधिकारी, कॉके ने अपने पत्रांक 859(ii) दिनांक 10.12.2008 के द्वारा यह सम्पुष्ट किया है कि भूमि पर संरचना है। अतएव निम्न न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाता है। अपील स्वीकृत।

दिनांकः– 15.12.2008

लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–

अपर समाहता
रॉची।